

अपर सचिव
—सह—
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 46/2021
नूर कुतुब आलम
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थिति:—

मो० मुसोविर एवं
एम० एस० होदा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री राजनंदन प्रसाद प्रतिवादी सं०-6 के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

नूर कुतुब आलम, पिता—स्व० जैनुद्दीन अहमद, पता—मदरसा इस्लामिया रब्बुल बख्श, पो०—अबदपुर, जिला—कटिहार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 3782, दिनांक 29.12.2020 के विरुद्ध यह अपील दायर की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को बताया कि प्रसंगाधीन आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में, मो० शाहजहाँ (सहायक शिक्षक) की सेवा जारी रहेगी एवं उक्त सहायक शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी का लिया गया निर्णय निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार रहित है, अतः इसे खारिज किया जाए।

प्रतिवादी सं०-6 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि वादी के अधिवक्ता इस वाद में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं एवं इस अपील की संचालन में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। अतः इस वाद को D.F.D. (Dismiss For Default) किया जाए।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया गया कि वादी के अधिवक्ता इस वाद में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस अपील की संचालन में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। अतः इस वाद को D.F.D. (Dismiss For Default) किया जाए।

निष्कर्ष:— उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं को भिन्न-भिन्न तिथियों पर सुना गया। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं प्रतिवादी सं०-6 के विद्वान अधिवक्ताओं की दलील को सुनने के बाद अपील की संचिका का अवलोकन किया। अपील की संचिका के अवलोकन से

यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी इस अपील की सुनवाई में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, सम्प्रति यह प्रतीत होता है कि इस अपील के संचालन में अपीलार्थी की कोई अभिरुचि नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में, इस अपील को D.F.D. (Dismiss For Default) किया जाता है एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/-

(विजय कुमार)

अपर सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 08/04/2026

ज्ञापांक 25

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/नूर कुतुब आलम, पिता-स्व0 जैनुद्दीन अहमद, पता-मदरसा इस्लामिया रब्बुल बख्श, पो0-अबदपुर, जिला-कटिहार/शाहजहाँ आलम, पिता-स्व0 जलालुद्दीन, ग्राम+पो0-पलासी, थाना-अबदपुर, जिला-कटिहार/जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कटिहार/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay Kumar
(विजय कुमार)

अपर सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।